डाक -व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति - पत्र
क्र. रायपुर - सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59] रायपुर, शुक्रवार दिनांक 15 मार्च 2002, फाल्गुन 24, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-24/2002/वा.क./(आब.) पांच/(28).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा धारा 62 के खण्ड (घ), (घ-1), (ङ), (च) और (छ) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त राजस्व जिलों में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की स्थापना के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**
   (एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002'' है .
   (दो) यह नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे .

2. **परिभाषायें** : जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो, इन नियमों में—
   (1) '**अधिनियम**' से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथा-संशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) .
   (2) '**आबकारी वर्ष**' से अभिप्रेत है, एक अप्रैल से प्रारंभ होकर कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष .
   (3) '**प्रपत्र**' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्रपत्र .
   (4) '**अनुज्ञापन प्राधिकारी**' से अभिप्रेत है, जिले के कलेक्टर .
   (5) '**लाइसेंस फीस**' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) के खण्ड (ज) के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से देशी/विदेशी मदिरा के बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार के लिये राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-

समय पर संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिये लाईसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियम राशि .

(6) **'न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा'** से अभिप्रेत है, आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के किसी मास में अपनी फुटकर दुकान/दुकानों के समूह के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत देशी/विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं माल्ट) की मात्रा, जो देशी/विदेशी मदिरा दुकान/दुकानों के समूह हेतु निर्धारित की जाएगी .

(7) **'प्रतिभूति धनराशि'** से अभिप्रेत है, वार्षिक मात्रा के 1/12 वें भाग पर देय ड्यूटी की धनराशि, जो देशी मदिरा के लिये 48/- रुपये प्रति प्रूफलिटर, विदेशी मदिरा स्पिरिट के लिये 84/- रुपये प्रति प्रूफलिटर एवं माल्ट के लिए 10/- रुपये प्रति बोतल की दर से गणना की जावेगी, शासकीय कोषालय में ब्याज रहित प्रतिभूति के रूप में नगद जमा करना होगा तथा जो राज्य सरकार के समस्त दावों एवं देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है .

(8) **'वार्षिक मात्रा'** से अभिप्रेत है, किसी आबकारी वर्ष में मासवार प्रत्याभूत मात्रा का योग .

फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन :

(क) इन नियमों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री के लिये फुटकर दुकान/दुकानों के समूह की निर्दिष्ट फीस 12 मासिक किश्तों में देय प्रणाली द्वारा, जैसा कि लाइसेंस के निर्बन्ध तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट है व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा .

(ख) अनुज्ञात परिसर में उपभोग किये जाने के लिये मुहरबंद बोतलों में देशी मदिरा लाइसेंस प्रपत्र सी.एस.-2 (घ) में तथा अनुज्ञप्त परिसर के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र एफ. एल. 1-(घ) में मंजूर किया जायेगा. ये प्रपत्र संलग्न परिशिष्ट 1 एवं 2 पर हैं .

मदिरा दुकानों के समूहों का गठन :

(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तीन मदिरा दुकानों के प्रत्येक समूह को उक्त नियमों के अधीन समूहवार लाइसेंस जारी किए जायेंगे .

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी अधिकृत होगा कि वह राजस्व को ध्यान में रखते हुये किसी एक समूह में किसी एक दुकान को कम या एक/दो दुकान जोड़ सकते हैं, पर वे दुकान उसी विक्रय क्षमता की नहीं होनी चाहिए .

(3) एक आवेदक/फर्म/कंपनी दो समूह से अधिक समूहों के लिए लाइसेंस अभिप्राप्त नहीं कर सकता .

लाइसेंस की अवधि :

लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके उस भाग, जिसके लिये लाइसेंस मंजूर किया गया है, के लिए होगी . लाइसेंस का नवीनीकरण ऐसे निबंधन और शर्तों पर किया जा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये जाये .

आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क :

मदिरा दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क निम्नलिखित सारणी में दर्शाए अनुसार होगा :

सारणी

अनुक्रमांक	समूह का आरक्षित मूल्य	आवेदन शुल्क
(1)	5 लाख से एक करोड़ तक दुकानों के समूह के लिए	रुपये 1,000/-
(2)	1 करोड़ से 2 करोड़ तक दुकानों के समूह के लिए	रुपये 3,000/-
(3)	2 करोड़ से 8 करोड़ तक दुकानों के समूह के लिए	रुपये 5,000/-

आवेदन शुल्क की राशि न तो लाइसेंस फीस में समायोजन योग्य होगी और न ही यह राशि अनुज्ञप्ति स्वीकृत न होने की स्थिति में वापसी योग्य होगी .

मदिरा दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करना :

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा दुकानों की प्रतिभूति धनराशि तथा प्रथम माह की लाइसेंस फीस अग्रिम जमा करने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मदिरा दुकानों के लाइसेंस जारी किये जायेंगे .

8. **लाइसेंस मंजूर करने के लिये प्रक्रिया :**

(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस मंजूर करना प्रस्तावित हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार के पश्चात् इस निमित्त आवेदन आमंत्रित करेंगे .

(ख) देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/दुकानों के समूह की जिनके लाइसेंस की स्वीकृति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित है कि सूची, लायसेंस फीस न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा, प्रतिभूति धनराशि एवं वार्षिक मात्रा सहित कलेक्टर, तहसील, जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त तथा उपायुक्त आबकारी (उड़नदस्ता) के कार्यालय में प्रदर्शित की जावेगी .

(ग) लाइसेंस स्वीकृति के लिये आवेदन, आवेदन शुल्क के साथ इन नियमों के संलग्न प्रारूप परिशिष्ट 4 में दिये जायेंगे .

(घ) आवेदन प्राप्ति के लिये नियत किया जाने वाला अंतिम दिनांक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होने के दिनांक से दस दिन से पूर्व न होगा .

9. **आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें:**

देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/दुकानों के समूह के लाइसेंस की पात्रता के लिये आवेदको को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी,

(क) भारत का नागरिक हो या भागीदारी फर्म के भागीदार जो भारत के नागरिक हो . दुकान/दुकानों के समूह के आवंटन के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना अनुज्ञात नहीं होगा .

(ख) 21 वर्ष की आयु से अधिक हो .

(ग) बकायेदार/कालीसूची में सम्मिलित या अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो .

(घ) निम्नलिखित के साक्ष्य में पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात् -

(1) यह कि उस स्थान पर नियमों के अनुसार दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है या किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकता है.

(2) यह कि उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसको इस अधिनियम, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी अधिनियम, 1985 तथा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है .

(3) यह कि अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहां का वह निवासी है, के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा कि उसका चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है .

(4) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त खण्ड तीन में उल्लेखित है या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो .

(5) यह कि उस पर कोई सरकारी देय नहीं है .

10. **लाइसेंस के लिये जिला स्तरी समिति :** देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री के लाइसेंसधारियों के चयन हेतु जिला स्तरीय समिति होगी . समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् -

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त	सदस्य सचिव

11. **अनुज्ञप्तिधारी का चयन :**

(क) समिति के सदस्य सचिव सभी आवेदकों की एक सूची, जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा .

(ख) उक्त समिति आवेदकों की सूची में से अनुज्ञप्तिधारियों का चयन करेगी, यदि किसी विशिष्ट दुकानों के समूह के लिये एक से अधिक आवेदक उपयुक्त पाये जाये तो समिति ऐसी दुकानों के समूह के लिये अनुज्ञप्तिधारी का चयन सार्वजनिक लाटरी से करेगी.

(ग) यदि चयनित आवेदक नियम 13 के अनुसार निर्धारित अवधि में अपेक्षित धनराशि जमा नहीं करता और विहित औपचारिकताएँ पूरी नहीं करता या दुकान/दुकानों के समूह हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और दुकानों के समूह के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा .

(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकानों के समूह के लिये कोई आवेदन सपत्र प्राप्त नहीं होगा या दुकानों के समूह के लिये कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाए तो अनुज्ञापन प्राधिकारी नियम 8 में दी गई प्रक्रिया अनुसार दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तुरन्त कार्यवाही करेगा.

(ड) अनुज्ञापन प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी दुकान/दुकानों के समूह हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों को बिना कारण बताए नामंजूर करे .

(च) वह व्यक्ति जिसके पक्ष में लाइसेंस मंजूर किया गया है वह नियम 3 (ख) के अधीन जारी लाइसेंस निबन्धन तथा शर्तों से बद्ध होगा .

12. **व्यवस्थापित की गयी दुकानों का विवरण :** जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, व्यवस्थापन के 15 दिनों के भीतर, व्यवस्थापित की गयी दुकानों के समूह का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारियों के नाम और पते, दुकानवार वार्षिक मात्रा, प्रतिभूति धनराशि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा .

13. **लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान :** यदि किसी आवेदक का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयन किया जाता है, तो वह अपने चयन की सूचना से तीन दिन के भीतर एक मास की लाइसेंस फीस की राशि तथा प्रतिभूति की राशि जमा करेगा . यदि वह विहित कालावधि में मासिक लायसेंस फीस एवं प्रतिभूति राशि जमा करने में असफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जाएगा और उक्त अनुज्ञप्तिधारी को राज्य में कहीं भी कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से भविष्य में वर्जित कर दिया जायेगा तथा उसका आवेदन शुल्क भी राजसात कर लिया जायेगा . इस नियम के अधीन ऐसे व्यतिक्रमी की समेकित सूची उनके पूरे पते सहित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को अग्रेषित की जायेगी, जो राज्य की समेकित सूची को राज्य के सभी अनुज्ञापन प्राधिकारियों को प्रसारित करेगा .

14. **मदिरा का उठान :**

(क) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी चुकाकर संबंधित मद्य भणडागार से तथा विदेशी का प्रदाय मूल्य जमा करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से अभिप्राप्त करेगा. अनुज्ञप्तिधारी मदिरा हेतु मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा .

(ख) प्रदायकर्ता/छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसके पास मांगपत्र प्रस्तुत किया गया है, मांगपत्र प्राप्त करने की तारीख तथा समय अभिलिखित करेगा और मांगी गई मदिरा की मात्रा को यथासंभव शीघ्र प्रदाय को सुनिश्चित करेगा .

(ग) वर्ष 2002-2003 हेतु देशी मदिरा की ड्यूटी दर 48/- रुपये प्रति प्रुफलिटर तथा विदेशी मदिरा स्पिरिट एवं माल्ट हेतु ड्यूटर नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :-

अ.क्र.	एक्स-फेक्ट्री दर (प्रति केस अर्थात् 12 बोतल)	ड्यूटी दरें प्रति प्रूफलिटर
01.	साधारण रेन्ज रु . 240 से 400 तक	रु . 60/-
02.	मध्यम रेन्ज रु . 401 से 900 तक	रु . 80/-
03.	उच्च रेन्ज रु . 901 से 3000 तक	रु . 110/-
04.	इंडियन स्कॉच	रु . 400/-
05.	आयातित मदिरा	रु . 500/-
06.	माल्ट	रु .10/- प्रति क्वार्ट बोतल

15. **मास के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान और असफलता के परिणाम :**

(क) अनुज्ञप्तिधारी मास के दौरान सम्पूर्ण न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा उठने के लिए दायी है . अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा ड्यूटी/विदेशी मदिरा के मूल्य के साथ जिसमें सभी शुल्क, कर और उपकर सम्मिलित हैं, आगामी मास के लिये नियत संपूर्ण मात्रा के लिये मांगपत्र तैयार करेगा जिसे मास के 25वें दिन तक प्रदायकर्ता/छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रस्तुत करना होगा .

(ख) यदि फुटकर अनुज्ञप्तिधारी खण्ड (क) के अनुसार मांगपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त तत्काल अनुज्ञापन प्राधिकारी को मामले की सूचना देगा, जो नियत न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम उठाई गई देशी मदिरा की मात्रा पर रुपये 48/- प्रति प्रूफलिटर, विदेशी मदिरा पर रुपये 84/- प्रति प्रूफलिटर एवं माल्ट पर रुपये 10/- प्रति बोतल तक की शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई करेंगे . अधिरोपित शास्ति के तुल्य धनराशि को प्रतिभूति से समायोजित करते हुए अनज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति राशि में आई कमी को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेंगे कि लाइसेंस क्यों न निरस्त कर दिया जाए ? यदि अनुज्ञप्तिधारी बताई गई के भीतर प्रतिभूति राशि को पूर्ण करने में असफल रहता है तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्तीकरण के दायित्वाधीन होगा . इसके उपरान्त अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान/दुकानों के समूह के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे .

16. **न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक देशी/विदेशी मदिरा का उठान :** अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक का उठान निर्धारित शुल्क की दर पर ही कर सकता है अर्थात् न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक उठन करने पर अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा .

17. **न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य :** शासन द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से देशी/विदेशी मदिरा की न्यूनतम फुटकर विक्रय दर नियत की जावेगी . देशी मदिरा बोतलों पर फुटकर बिक्री दर प्रदायकर्ता द्वारा मुद्रित कराई जायेगी . विदेशी मदिरा के विभिन्न ब्राण्डों की दरों की मूल्य सूची दुकानदार द्वारा दुकान के दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी . अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित किए गए न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा .

18. **देशी मदिरा की उपदुकान हेतु अनुज्ञप्ति :** देशी मदिरा की उपदुकान ऐसी लायसेंस फीस तथा शर्तों के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मंजूर की जा सकेगी जैसी कि शासन द्वारा अधिसूचित की जाये . यह अनुज्ञप्ति प्रपत्र सी.एस. 2-ङ में होगी जो उपाबंध 3 पर है .

19. **विक्रय तथा दुकान बन्द करने के घण्टे :** अनुज्ञापन परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गाँधी निर्वाण दिवस), होली, मुहर्रम और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित तीन दिन के अतिरिक्त सभी दिवसों पर प्रात: 10 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक बिक्री के लिये खुला रहेगा . अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सुसंगत विधि के प्रावधानों के अधीन सामान्य निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के कारण दुकान बन्द करने का आदेश दे सकता है. उपरोक्त आधार पर दुकान के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा .

20. **लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टॉक का व्ययन :** अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी मदिरा के अतिशेष स्टॉक का व्ययन सामान्य लाइसेंस शर्त क्रमांक-25 के अन्तर्गत तथा विदेशी मदिरा के अतिशेष का निस्तारण छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उपनियम (6) के अनुसार किया जायेगा .

21. **प्रतिभूति धनराशि का समायोजन/वापसी :** राज्य शासन को देय लायसेंस फीस/ड्यूटी/शास्ति की राशि या अन्य देयों के निस्तारण हेतु आवश्यकता होने पर प्रतिभूति धनराशि समायोजन योग्य होगी . राज्य शासन के समस्त दावों एवं देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात् प्रतिभूति धनराशि वापस किए जाने योग्य रहेगी .

22. **लायसेंस का अभ्यर्पण :** अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 33 के उपबन्धों के अधीन अपने लायसेंस का अभ्यर्पण अनुज्ञापन प्राधिकारी को कम से कम एक मास की लिखित नोटिस देकर कर सकता है . ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार कार्यवाही करेगा . अनुज्ञापन प्राधिकारी आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिए दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरंभ करेगा .

23. **लायसेंस का निलम्बन और निरस्तीकरण :**

(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी लायसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है -

(क) यदि अनुज्ञप्त परिसर में कोई ऐसी मदिरा बोतल पाई जाती है, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में प्रतिभूति होलोग्राम नहीं लगाया गया है .

(ख) यदि अनुज्ञापन परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि (जिसके लिये लायसेंस मंजूर नहीं किया गया है) पाई जाती है .

(ग) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथपत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया कथन असत्य पाया जाता है.

(घ) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम या किसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध से या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध पाया जाता है .

(ङ) यदि कोई मदिरा की बोतल नियम 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है .

(च) (एक) यदि अनुज्ञप्तिधारी आगामी मास हेतु नियत न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का माँगपत्र मास की 25 तारीख तक प्रस्तुत नहीं करता अथवा माँगपत्र अनुसार नियत न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं उठाता है तो ऐसी कम उठाई गई, देशी मदिरा की मात्रा पर रुपये 48/- प्रतिप्रूफलिटर , विदेशी मदिरा स्पिरिट की मात्रा पर रुपये 84/-प्रति प्रूफलिटर तथा

माल्ट की मात्रा पर रुपये 10/- प्रति बोतल की दर से शास्ति के लिये दायी होगा .

(दो) यदि अनुज्ञप्तिधारी अधिरोपित शास्ति के पश्चात् भी मासवार प्रत्याभूत मात्रा उठाने में असफल रहता है तथा विहित कालावधि के भीतर प्रतिभूति राशि में आयी कमी को पूरा करने में भी असफल रहता है .

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी ऊपर उल्लिखित आधार पर तत्काल अनुज्ञप्ति निलम्बित कर देगा और जमा प्रतिभूति राशि को राजसात कर लेगा . अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा और अनुज्ञप्तिधारी अपना स्पष्टीकारण सूचना की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा . तत्पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का सम्यक् अवसर देने के पश्चात्, समुचित आदेश पारित करेगा .

(3) अनुज्ञप्तिधारी, इस नियम के अधीन लाइसेंस के निलम्बन या निरस्तीकारण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा .

(4) ऊपर लिखित आधार पर लाइसेंस निरस्त किए जाने के मामले में अनुज्ञप्तिधारी को कालीसूची में भी डाला जा सकता है तथा भविष्य में कोई भी आबकारी लाइसेंस धारण करने से वर्जित किया जा सकता है .

24. **निरसन** : इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम जो उनके प्रारंभ से तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में, एतद्द्वारा, निरस्त किये जाते हैं .

उपाबन्ध 1

सी. एस. 2-घ

[नियम 3(ख)]

मुहरबंद बोतलों में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये परिसर में उपभोग हेतु लाइसेंस

लाइसेंस संख्या .... वर्ष .... मोहल्ला ....

जिला .... .लाइसेंस फीस .... रुपया (अंकों में)..

.... शब्दों में वार्षिक मात्रा (प्रुफ लिटर में)

.... न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा .

अनुक्रमांक	मास	न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा
1.	अप्रैल	वार्षिक मात्रा का 8.5%
2.	मई	वार्षिक मात्रा का 8.5%
3.	जून	वार्षिक मात्रा का 8.5%
4.	जुलाई	वार्षिक मात्रा का 7.5%
5.	अगस्त	वार्षिक मात्रा का 7.5%
6.	सितम्बर	वार्षिक मात्रा का 7.5%
7.	अक्टूबर	वार्षिक मात्रा का 8.5%
8.	नवम्बर	वार्षिक मात्रा का 8.5%
9.	दिसम्बर	वार्षिक मात्रा का 9.0%
10.	जनवरी	वार्षिक मात्रा का 9.0%
11.	फरवरी	वार्षिक मात्रा का 8.5%
12.	मार्च	वार्षिक मात्रा का 8.5%

परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)

उत्तर ....

दक्षिण ....

पूरब ....

पश्चिम ....

नाम, पिता का नाम एवं लाइसेंसधारक का पता

1. .... पुत्र .... निवासी ....
2. .... पुत्र .... निवासी ....

नाम, पिता का नाम और विक्रेताओं के पते

1. .... पुत्र .... निवासी ....
2. .... पुत्र .... निवासी ....
3. .... पुत्र .... निवासी ....
4. .... पुत्र .... निवासी ....

25 यू. पी. की मसालेदार देशी मदिरा एवं यू. पी. की सादी देशी मदिरा की मानक बोतल (750 मि.ली.), अद्धा (375 मि.ली.) और पौवा (180 मि.ली.) के फुटकर बिक्री का लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारक/ धारकों को जिला .... के अन्तर्गत .... (स्थान) .... तहसील के लिये दिनांक .... से 31 मार्च, 20 .... हेतु जिसके लिये नियम -7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है , लाइसेंस प्रदान किया जाता है .

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने पर अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा .

सामान्य और विशेष शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी महीने के दौरान नियत की गई सम्पूर्ण न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत मात्रा को उठाने के लिए दायी होगा . महीने के अंतिम कार्य दिवस को बिना उठाई गई मात्रा को समपहृत कर लिया जायेगा .

2. देशी मदिरा की नियत सम्पूर्ण मासवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के लिये मदिरा के प्रदाय मूल्य के पूर्ण भुगतान पर मांगपत्र मास की 25 तारीख तक प्रदायकर्ता को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा .

3. यदि फुटकर लाइसेंसधारक उपरोक्तानुसार माह के 25 तारीख तक मांगपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो जिला आबकारी अधिकारी/ सहायक आबकारी आयुक्त तुरन्त मामले की रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी को करेंगे जो नियत न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम उठाई गई प्रत्याभूत मात्रा पर रुपये 48/- प्रति प्रूफ लिटर तक की शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही करेंगें . अधिरोपित शास्ति के तुल्य धनराशि को प्रतिभूति से समायोजित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति राशि में आई कमी को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेंगें कि अनुज्ञप्ति क्यों न निरस्त कर दी जाये, यदि अनुज्ञप्तिधारी नियत अवधि के अंदर प्रतिभूति राशि को पूर्ति करने में असफल रहता है तथा उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है , तो उसकी लाइसेंस स्वतः निरस्त हो जायेगा, इसके उपरांत अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान / दुकानों के समूह के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगें .

4. अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक का उठान उसी ड्यूटी दर पर ही कर सकता है अर्थात् न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक उठान करने पर अतिरिक्त ड्यूटी देय नहीं होगी .

5. अनुज्ञप्तिधारी मदिरा की कीमत का, जिसमें समय -समय पर उद्ग्रहणीय समस्त कर सम्मिलित हैं, पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् देशी मदिरा जिला प्रदायकर्ता से देशी मदिरा का प्रदाय अभिप्राप्त कर सकता है . अनुज्ञप्तिधारी जिसे वह देशी मदिरा प्रदाय करना चाहता है अग्रिम में माँगपत्र देगा . ऐसा प्रदायकर्ता जिसे माँगपत्र दिया गया हो यथासंभव शीघ्र देशी मदिरा का प्रदाय करने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी सम्बद्ध जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त को सूचना देगा जो ऐसा माँग -पत्र प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र मदिरा को प्रदाय के लिए व्यवस्था करार करेगा .

6. अनुज्ञप्तिधारी नियत न्यूनतम फुटकर मूल्य से कम नहीं लेगा .

7. परिसर पर उपभोग के लिये मुहरबंद बोतलों में देशी मदिरा की बिक्री की अनुमति उसी गद्दी से होगी . परिसर के एक भाग अलग रखा जाएगा . जहां केवल "परिसर में" उपभोग के लिये अनुमति होगी . परिसर में उपभोग के लिये भी खुली हुई मदिरा नहीं परोसी जायेगी .

8. विहित तीव्रता और मात्रा की देशी मदिरा की बिक्री मुहरबंद बोतलों, अद्धा, पौवों में की जायेगी जिन पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में लगे हुए होंगे .

9. अनुज्ञप्तिधारी विहित रजिस्टर में नियमित और सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगा जाय, लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा .

9. क. अनुज्ञप्तिधारी जिस दिन मद्य भाण्डागार में देशी मदिरा का प्रदाय अभिप्राप्त करने हेतु जाय उसके पूर्ववर्ती दिन को उसके पास स्टाक में की समस्त खाली बोतलें प्रदायकर्ता को वापस करेगा .

10. अनुज्ञप्तिधारी को देशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर, जिसके लिये कि लाइसेंस मंजूर किया गया है, परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी .

11. अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली, मुहर्रम, और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों 10.00 बजे सुबह से 10.30 बजे रात्रि तक खुला रहेगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है . उक्त तारीखों/ दिनों में दुकान की बंदी के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा .

12. अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस परिसर में ही करेगा .

13. अनुज्ञप्तिधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा, जिस पर अनुज्ञप्तिधारी का नाम, "देशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारक फुटकर विक्रेता" , दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि तथा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेगी .

14. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में बैठने की युक्तियुक्त व्यवस्था करेगा जैसे बैंचों की पर्याप्त संख्या, 'तख्तों', कुर्सियों तथा टेबिल आदि .

15. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो .

16. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक देशी मदिरा नहीं बेचेगा .

17. किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय नहीं की जावेगी जो 18 वर्ष [21 वर्ष] से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो . (प्रतिस्थापित 05-09-2005)

18. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या उनके लेबिलों, सुरक्षा होलोग्राम / चोरी रोधक ढक्कनों या मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है .

19. अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में कोई भी रंग, सुगंधि, होलोग्राम, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य हानिकर सामग्री नहीं रखेगा .

20. अनुज्ञप्तिधारी या उसके विक्रेता के लिये दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फीट के भीतर जहां विक्रय के लिये देशी मदिरा भंडारित की गयी है, पानी का रखना पूर्ण रूप से निषिद्ध है .

21. अनुज्ञप्तिधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिये, उसमें नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा .

22. परिसर के भीतर प्रयोग किए गए सभी कुल्हड़, पत्तलों आदि को कूड़े के लिये विशेषतः निर्मित खाली या इस प्रयोजनार्थ रखे गये ढक्कनदार, कूड़ेदानों में तत्काल डालकर हटा दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय हेतु विक्रय घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा .

23. अनुज्ञप्तिधारी/विक्रेता और उसके परिवार के द्वारा उस परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा .

24. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये खरीददारों को प्रलोभन देना या फुसलाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है . द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी पूर्ण रूप से निषिद्ध है .

25. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिशेष स्टाक के निपटारे के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसे सामान्य लायसेंस शर्त क्र. 25 के अनुसार निपटारा किया जायेगा .

26. अनुज्ञप्तिधारी, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2क एवं 2ख को छोड़कर) और अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा सूचित किन्हीं विशेष शर्तों से आबद्ध कर होगा .

तारीख : ....

जिला : ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

उपाबन्ध 2

एफ. एल. 1-घ

(नियम 3-ख)

दुकान से मुहरबंद बोतलों में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस

लाइसेंस संख्या .... वर्ष ....मोहल्ला ....

जिला .... लाइसेंस फीस .... रुपया (अंकों में) ....

....(शब्दों में) वार्षिक मात्रा (बल्क लीटर में)

. ...न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा .

क्रम संख्या	मास	न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा
1.	अप्रैल	वार्षिक मात्रा का 8.5%
2.	मई	वार्षिक मात्रा का 8.5%
3.	जून	वार्षिक मात्रा का 8.5%
4.	जुलाई	वार्षिक मात्रा का 7.5%
5.	अगस्त	वार्षिक मात्रा का 7.5%
6.	सितम्बर	वार्षिक मात्रा का 7.5%
7.	अक्टूबर	वार्षिक मात्रा का 8.5%
8.	नवम्बर	वार्षिक मात्रा का 8.5%
9.	दिसम्बर	वार्षिक मात्रा का 9.0%
10.	जनवरी	वार्षिक मात्रा का 9.0%
11.	फरवरी	वार्षिक मात्रा का 8.5%
12.	मार्च	वार्षिक मात्रा का 8.5%

परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)

उत्तर ....

दक्षिण ....

पूरव ....

पश्चिम ....

नाम, पिता का नाम एवं अनुज्ञप्तिधारी का पता

1 .... पुत्र .... निवासी ....

2. .... पुत्र .... निवासी ....

नाम, पिता का नाम और विक्रेताओं के पते

1. .... पुत्र .... निवासी ....

2. .... पुत्र .... निवासी ....

3. .... पुत्र .... निवासी ....

4. .... पुत्र .... निवासी ....

परिसर के बाहर उपयोग के लिये मानक क्वार्ट बोतलों, अद्धा और पाव में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये लायसेंस, एतदद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को जिला .... के अन्तर्गत ....(स्थान)...................................... तहसील के लिये दिनांक .... से 31 मार्च, 20 .... हेतु जिसके लिये नियम -7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है .

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रदाय किया जाता है . इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने पर अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति धनराशि का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा .

सामान्य और विशेष शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से समस्त करों, शुल्क, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा .

2. अनुज्ञप्तिधारी शासन द्वारा नियम, 17 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य नहीं लेगा .

3. अनुज्ञप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिये की जायेगी. कोई भी मदिरा परिसर पर उपभोग नहीं की जायेगी .

4. किसी भी व्यक्ति को 180 मि.ली. की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की बिक्री नहीं की जायेगी. 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई बिक्री नहीं की जायेगी. [21 वर्ष प्रतिस्थापित 05/09/2005]

5. विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा की मुहरबंद बोतलों अर्थात् क्वार्ट, पिंट और निप में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान प्रमाण के रूप में सुरक्षा होलोग्राम लगे हुए होंगे.

6. अनुज्ञप्तिधारी विहित रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा.

7. अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा के संपूर्ण स्टाक का भंडारण केवल अनुज्ञप्त परिसर में ही करेगा .

8. (क) अनुज्ञप्तिधारक को महीने के अंत तक लायसेंस प्राधिकारी द्वारा नियत की गई संपूर्ण न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत मात्रा को उठाना होगा. महीने के अंतिम कार्य दिवस को बिना उठाये गये मात्रा को समपहृत कर लिया जायेगा .

(ख) विदेशी मदिरा की निर्धारित संपूर्ण मासवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के लिये उद्ग्रहणीय सभी करों, शुल्कों , उपकरों को सम्मिलित करते हुए मदिरा के लागत मूल्य का भुगतान कर मांगपत्र मास की 25 तारीख तक छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा .

(ग) यदि फुटकर अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्तानुसार माह के 25 तारीख तक मांगपत्र प्रस्तुत करने में विफल होता है तो जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त तुरन्त मामले की रिपोर्ट लायसेंसिंग प्राधिकारी को करेगा. जो निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम उठाई गई स्प्रिट की प्रत्याभूत मात्रा रु. 84/- प्रति प्रूफ लिटर तथा माल्ट पर प्रति बोतल रुपये 10/- तक की शास्ति आधिरोपित करने की कार्यवाही करेंगे व अधिरोपित शास्ति के तुल्य धनराशि को प्रतिभूति धनराशि से समायोजित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति धनराशि में आई कमी को एक सप्ताह के अंदर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेगें कि लाइसेंस क्यों न निरस्त कर दी जाय. यदि अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित अवधि के अंदर प्रतिभूति राशि को पूर्ण करने में असफल होता है तथा उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसकी लाइसेंस स्वतः निरस्त हो जाएगा. इसके उपरांत लायसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे.

9. अनुज्ञप्तिधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर अनुज्ञप्तिधारी का नाम, विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारी फुटकर विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लायसेंस की अवधि और लायसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनायें भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी .

10. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग छुआछूत के रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो.

11. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी मदिरा नहीं बेचेगा.

12. 18 वर्ष [21 वर्ष — प्रतिस्थापित 05/09/2005] से कम आयु के व्यक्ति उपनिरीक्षक से निम्न पद श्रेणी के पुलिस कर्मी या सैनिक या वर्दीधारी को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा.

13. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और उनके लेबलों, सुरक्षा होलोग्राम , चोरी रोधक ढक्कनों या मुहरों से बिगाड़ करना सर्वथा निषिद्ध है.

14. अनुज्ञप्तिधारी अपने लाइसेंस परिसर में कोई भी रंग सुगंधि, होलोग्राम, लेबल, कैपसूल, मुहर या कोई अन्य हानिकर सामग्री नहीं रखेगा.

15. अनुज्ञप्तिधारी/विक्रेता और उनके परिवार द्वारा परिसर जिसमें दुकान स्थित है का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा.

16. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है. द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है .

17. लाइसेंस परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली, मुहर्रम, और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बंदी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों 10.00 बजे सुबह से 10.30 बजे रात्रि तक खुला रहेगा, लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था का सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बंदी के आदेश दे सकता है . उक्त तारीखों/ दिवसों में दुकान की बंदी के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा .

18. विदेशी मदिरा को छोड़कर जिसके लिये की लायसेंस दिया गया है अनुज्ञप्तिधारी को लाइसेंस परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी .

19. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञा की समाप्ति पर अतिशेष स्टाक के निस्तारण के लिये लायसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उपनियम (6) के अनुसार निस्तारित किया जाएगा .

20. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये एफ. एल. 2, एफ. एल. 3, एल.एल. 4., एफ.एल. 4क अथवा एफ. एल. 5 अनुज्ञप्तिधारी को भी विदेशी मदिरा विक्रय करेगा .

21. अनुज्ञप्तिधारी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2क एवं 2ख को छोड़कर) और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष शर्तों से आबद्ध कर होगा.

तारीख : ....

अनुज्ञापन अधिकारी

जिला : ....